प्रेस नोट–161/2026
दिनांक 20.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना काकादेव

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 20.03.2026 को थाना काकादेव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छपेडा पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सद्दाम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना काकादेव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सद्दाम निवासी ग्राम व थाना रावतपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

- **जनपद हाथरस/थाना हाथरस गेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–शेखर को धारा 396/412 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 2–दीपक को धारा 396 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 3–कान्हा उर्फ देवीसिंह को धारा 396 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 4–राजन को धारा 396 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 5–मुकेश उर्फ छोटू को धारा 396/412 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 02–02 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–गुड्डू उर्फ सिराजुद्दीन को धारा 302/34 भादवि, 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 02 लाख 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं 2–अभियुक्ता को धारा 302/34 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना आलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना आलापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/302/149/427 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मो0सादिक उर्फ कल्लू 2–इसरार खान 3–नदीम खान 4–अलीम को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना रामघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष एवं 02 अभियुक्तों को 05–05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना रामघाट पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–रवेन्द्र उर्फ भूरा 2–भुवनेश को धारा 376डी/363 भादवि के अन्तर्गत 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 3–गजेन्द्र 4–धर्मेन्द्र उर्फ छोटे को धारा 363 भादवि के अन्तर्गत 05–05 वर्ष के कठोर कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद आजमगढ़/थाना मुबारकपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376/302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शुभम को आजीवन कारावास व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना कालिंजर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कालिंजर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/368 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–संतु 2–अंकुरदास 3–रामस्वरूप को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना नगरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 75–75 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना नगरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सोनू 2–दशरथ व तीन अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के कारावास व 75–75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

प्रेस नोट–162 / 2026
दिनांक 20.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

यक्ष एप की सहायता से विगत सप्ताह में कमिश्नरेट गाजियाबाद में घटित लूट की घटना के अपराधियों एवं हाथरस में शातिर महिला अपराधियों की सफलता पूर्वक गिरफ़्तारी की गयी

यक्ष ऐप का औपचारिक शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा **"पुलिस मंथन"** कार्यक्रम के दौरान किया गया था।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, **श्री राजीव कृष्ण** के नेतृत्व में परिकल्पित एवं विकसित यक्ष ऐप राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग, अपराधियों की प्रभावी निगरानी एवं त्वरित विवेचना में एक सशक्त तकनीकी माध्यम के रूप में स्थापित हो रहा है।

विगत सप्ताह में **कमिश्नरेट गाजियाबाद** एवं **हाथरस** में इस एप के माध्यम से की गई कार्यवाहियाँ तकनीक-आधारित पुलिसिंग की उल्लेखनीय सफलता को प्रदर्शित करती हैं।

1- यक्ष एप की सहायता से कमिश्नरेट गाजियाबाद में कार व मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी

दिनांक 04.03.2026 को कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्रांतर्गत मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर कार सवार दो व्यक्तियों से टाटा नेक्सोन कार एवं मोबाइल फोन लूट की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए यक्ष एप के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर 03 संदिग्ध अभियुक्तों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास यक्ष एप के माध्यम से तत्काल प्राप्त हुआ। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा एक अन्य अभियुक्त लव का नाम व पता बताया गया।

उक्त विवरण को यक्ष एप पर सत्यापित करने पर दो फोटो आईडी प्राप्त हुईं, जिनकी पहचान कर अभियुक्तों ने पुष्टि की कि यही लव चंदीला है, जिसने उनके साथ मिलकर उक्त लूट की घटना को अंजाम दिया था। यक्ष एप के माध्यम से अभियुक्त लव चंदीला की फोटो एवं पारिवारिक विवरण प्राप्त हुआ, जिसकी पुष्टि वादी द्वारा भी की गई।

तत्पश्चात तकनीकी विश्लेषण एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त लव चंदीला को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

2- यक्ष एप की सहायता से हाथरस पुलिस द्वारा झूठे आरोपों का खुलासा एवं 02 शातिर महिला अपराधियों की गिरफ्तारी

दिनांक 13.03.2026 को एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा बैंक से रूपये 3,00,000/- निकालने के पश्चात दो शातिर महिलाओं द्वारा उनका पीछा किया गया। सुनसान स्थान पर उन्हें रोककर बातचीत में उलझाया गया तथा बैग में कट मारकर रुपये छीनने का प्रयास किया गया।

वृद्ध व्यक्ति को उनकी नीयत पर संदेह हुआ और उन्होंने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग एकत्र हो गए। स्वयं को घिरता देख दोनों महिलाओं ने उल्टा वृद्ध व्यक्ति पर ही दुर्व्यवहार का झूठा आरोप लगा दिया।

सूचना प्राप्त होते ही थाना सासनी पुलिस एवं यूपी-112 की टीम तत्काल मौके पर पहुँची और जांच प्रारंभ की गई। बीट पुलिस अधिकारी कांस्टेबल अजय यादव द्वारा यक्ष एप के माध्यम से बैंक से घटनास्थल तक लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन तत्काल ट्रेस की गई। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन में स्पष्ट हुआ कि दोनों महिलाएं ही बैंक से वृद्ध व्यक्ति का पीछा कर रही थीं तथा घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रही थीं।

इसके उपरांत दोनों महिलाओं की फोटो यक्ष एप पर अपलोड कर फेशियल रिकग्निशन/फोटो मैचिंग कराई गई, जिससे उनकी पहचान तत्काल सुनिश्चित हो गई। यक्ष एप के विशाल आपराधिक डेटा बैंक से यह भी ज्ञात हुआ कि दोनों अभियुक्ताओं के विरुद्ध लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, आगरा, मथुरा एवं एटा जनपदों में गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ये दोनों अभियुक्ताएं सुनियोजित तरीके से अकेले व्यक्तियों को निशाना बनाकर चोरी, लूट एवं झपटमारी जैसी घटनाओं को अंजाम देती थीं।

यक्ष एप की सहायता से हाथरस पुलिस द्वारा दोनों शातिर महिला अभियुक्ताओं को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त दोनों घटनाएँ स्पष्ट करती हैं कि **"यक्ष एप"** आधुनिक तकनीक के माध्यम से अपराध नियंत्रण एवं अनावरण में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहा है।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तकनीक-सक्षम स्मार्ट पुलिसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य किया जा रहा है।

————————